उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इदौर (म.प्र.)

::रूचि की अभिव्यक्ति सूचना::

प्रोटोकॉल/981/2023 इन्दौर, दिनांक 11/4/2023

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर में वर्ष 2023-24 के लिए उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के उद्यानों के रख-रखाव हेतु 06 माली की सेवाए प्रदाय करने हेतु इस क्षेत्र में अनुभवी प्रायवेट एजेंसीस/फर्म/उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित है। अनुबंध की शर्त अनुसार उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के उद्यान के रख-रखाव हेतु 06 माली की सेवाए प्रदाय करने हेतु एजेंसीस/फर्म/उम्मीदवार, इस कोटेशन आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 24.04.2023 की दोपहर 01:30 बजे तक कोटेशन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर सकते है। कोटेशन आमंत्रण सूचना की शर्तों की जानकारी उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर भी देखी जा सकती है।

11/4/23

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इंदौर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इदौर (म.प्र.)

::उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के उद्यान के उचित रख-रखाव हेतु 06 माली की सेवाए प्रदाय करने हेतु सामान्य शर्ते ::

1. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के उद्यान के उचित रख-रखाव हेतु 06 माली प्रतिदिन 08 घण्टे के लिए प्रदाय किया जाना होगा जिसमें से एक माली बागवानी नर्सरी सहायक के साथ आवश्यक अनुभवी होना चाहिए। अन्य पाँच - सहायक माली (अर्द्धकुशल) श्रेणी के हो।
2. उच्च न्यायालय में माली प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एवं दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक, रविवार एवं शासकीय अवकाश सहित उद्यान के रख-रखाव के लिए उपस्थित होना होगा।
3. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इदौर में रखे जाने वाले मालियों को दैनिक रूप से भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर पर आकलित किया जावेगा। उक्त प्रचलित दरों पर संस्था वित्त विभाग के नीति निदेश दिनांक 31.03.2023 के अनुसार मय प्रशासकीय व्यय दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
4. संस्था को शासन के नियमों के अनुसार समान वैधानिक पूर्ति करने की जवाबदारी होगी।
5. प्रदाय माली का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. उपस्थिति पत्रक अगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा, ताकि भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके।
7. उच्च न्यायालय के उद्यान के रख-रखाव के लिए सीजनल प्लांट एवं कार्य करने हेतु उद्यान सामग्री उच्च न्यायालय के कार्यालय से मालियों को प्रदाय की जावेगी।
8. उच्च न्यायालय को प्रदाय किये गये 06 मालियों में से यदि कोई भी माली अनुपस्थित रहता है तो उक्त माली का मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रदायकर्ता को अनुपस्थित माली के स्थान पर अन्य किसी माली को प्रदाय किया जाना होगा।
9. मालीयों को 01 वर्ष के लिए रखा जायेगा जिसे आगामी 01 वर्ष के लिए आपसी सहमति से इन्हीं शर्तों अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
10. उच्च न्यायालय में पदस्थ किये गये माली को अन्य किसी न्यायालय के उद्यान एवं संस्था के उद्यान के रख-रखाव कार्य हेतु नहीं भेजा जावेगा।
11. माली की संख्या को घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार पूर्ण रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर का होगा।
12. एजेंसीस/फर्म/उम्मीदवार को मालियों की प्रतिदिन दैनिक उपस्थिति का रिकार्ड रखना होगा जिसकी छायाप्रति प्रति बिल के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु प्रेषित किया जाना होगा।
13. एजेंसीस/फर्म/उम्मीदवार के पास पेन नं., जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, बैंक की जानकारी आदि का होना अनिवार्य है।
14. कोटेशन सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जाना होगा समय पश्चात प्राप्त आवेदन पर निर्णय नहीं किया जावेगा।
15. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, अंतिम निर्णायक होंगे।
16. प्रशासकीय कारणों से अथवा कार्य गुणवत्ता पूर्ण न पाये जाने या सेवा प्रदाय में चूक की स्थिति में उक्त कोटेशन किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर 15 दिवस का नोटिस देकर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के आदेश से समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इंदौर